//मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर//
निविदा आमंत्रण

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ब्लेक कोट का कपड़ा, ब्लेक टाई एवं सिलाई कार्य करवाये जाने हेतु शील बंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विभागीय पोर्टल https://mphc.gov.in पर भी निविदा के नियम एवं शर्ते उपलब्ध है।

1.	ब्लेक ब्लेजर क्लॉथ (रेमन्ड)	—	96.80 मीटर
2.	ब्लेक टाई	—	72 नग
3.	ब्लेक ब्लेजर सिलाई	—	44 नग

पंजीकृत संस्थाएं निविदा म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के प्रोटोकॉल अनुभाग में दिनांक 12/04/2023 को दोपहर 01:30 बजे तक सीलड/बंद लिफाफे में ब्लेक ब्लेजर क्लॉथ एवं ब्लेक टाई के सेम्पल सहित प्रस्तुत कर सकते है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

<u>नियम एवं शर्ते</u> :—

1. निविदा के साथ संबंधित फर्म को ब्लेक ब्लेजर क्लॉथ एवं ब्लेक टाई का सेम्पल प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. ब्लेक ब्लेजर क्लॉथ के 15—15 मीटर के कटपीस प्रदाय किये जाने होंगे।
3. ब्लेक ब्लेजर क्लॉथ में नमूने प्रदाय शेड से वेरिऐशन नहीं आना चाहिए सभी कटपीस के सेड एक जैसे होना चाहिए एवं ब्लेजर बनवाये जाने के बाद कपड़ा सिकुड़ना अथवा रेसे नहीं आने चाहिए। फैब्रिक में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा जावें।
4. वर्दी सामग्री की उल्लेखित संख्या में वृद्धि या कमी हेतु प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सक्षम है।
5. सफल निविदाकर्ता को क्रय आदेश मिलने के 15 दिवस के अंदर ब्लेक ब्लेजर का कपड़ा एवं ब्लेक टाई प्रदाय की जानी होगी अन्यथा विलम्ब हेतु पेनाल्टी देय होगी।
6. ब्लेजर की सिलाई हेतु सफल निविदाकर्ता को वर्क आदेश मिलने के 10 दिवस के अंदर कार्यालय समय में उपस्थित होकर नपती/नाप पूरा करना होगा। ब्लेक ब्लेजर की सिलाई कार्यालय द्वारा प्रदाय नमूने अनुसार करनी होगी। ब्लेजर की नपती/नाप के उपरांत 20 दिन के अंदर सिलाई करवाये जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदाय किये जाने होंगे।
7. सिलाई कार्य म0प्र0 उच्च न्यायालय की गरिमा अनुसार उच्च क्वॉलिटी का एवं नपती अनुसार होना चाहिए। सिलाई कार्य से सभी कर्मचारियों का संतुष्ठ होना आवश्यक है। सिलाई कार्य से संबंधित कोई अल्ट्रेशन आता है तो उक्त फर्म को 3 माह के अंदर बिना चार्ज करने हेतु बाध्य होगी।
8. ब्लेजर हेंगर एवं कवर में रखकर प्रदाय किये जाने होगे।
9. फर्म को कोटेशन में जीएसटी नम्बर, पैन नम्बर, मोबाईल नम्बर, ई—मेल आईडी अंकित करना होगा।
10. सफल निविदाकर्ता को कोई अग्रिम देय नहीं होगा। प्रदाय सामग्री का वेरीफिकेशन पश्चात् नियमानुसार टैक्स कटोत्री पश्चात् भुगतान ई—पेमेंट से संस्था को किया जावेगा।
11. निविदा <u>स्वीकार/अस्वीकार</u> करने का पूर्ण अधिकार प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा।

27/3/23

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
खण्डपीठ इन्दौर